फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

प्रार्थी–सरकार जरिये तहसीलदार अप्रार्थी– हजारी व अन्य

केस संख्या : 446/2016

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट बाबत नक्शा व रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		:–निर्णय–: आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7, 12 के विरूद्व बावजूद प्रॉपर तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 एवं 8 ल. 11 को जवाब प्रस्तुत करने के काफी अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण, जवाब बंद किया गया। बहस सुनी गई। पैरोकार राज0 ने निवेदन किया कि ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील फागी में आ.ख.नं. 246, 306/1, 481/4 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है जो ग्राम दौसरा से ग्राम राहोली तहसील निवाई जिला टोंक को जाने वाले रास्ते में आता है जो सरकारी रिकॉर्ड में जिम्मन नं. 1 में गै.मु. रास्ता अंकित है। रास्ते के मध्य आ.ख.नं. 246 व 306 के बीच ख.नं. 307 अप्रार्थी सं. 1 ल. 11 की खातेदारी में अंकित है जिसकी किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज है। आराजी के खातेदार द्वारा आराजीयात बाबत मान्य न्यायालय के यहां वाद प्रस्तुत होने एवं आराजीयात के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन प्राप्त कर लेने के कारण रास्ते के निर्माण में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस कारण न्यायहित में अप्रार्थी सं. 1 ल. 11 की शामलाती भूमि ख.नं. 307 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 12 बिस्वा भूमि कमकर राजकीय खाते में दर्ज करवाने एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम करवाने के आदेश फरमावे जावे। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि खसरा नंबर 307 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा गै.मु. रास्ता दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नंबर 307 में से 12 बिस्वा भूमि पर मौके पर रास्ता बना हुआ है जो आमजन के आवागमन के लिए उपयोग में आ रहा है। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर खसरा नंबर 307 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ मण्डालिया, तहसील फागी जिला जयपुर में से 12 बिस्वा भूमि मुताबिक नजरी नक्शा की किस्म गैर मु. रास्ता दर्ज की जाती है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर नक्शा में तरमीम करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 14/06/2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट दौसरा में सुनाया गया। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी	